यह निरीक्षण प्रतिवेदन ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखंड डीडीहाट द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार उत्तराखंड देहरादून क कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखंड डीडीहाट के माह 10/2016 से 02/2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री दया शंकर वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21/03/2018 से 03/04/2018 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता, श्री अश्विनी कुमार पांडे सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री वजय कुमार वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.01.16 से 27.10.16 तक श्री श शकांत पांडे लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2014 से 09/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 02/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः इकाई द्वारा डपॉज़िट कार्य कया जाता है। जिसमे भवन बनाना तथा सड़क निर्माण करना शा मल है।

उपरोकतानुसार

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारं भक शेष		स्थापना		गैर स्थापना		गैर स्थापना	
	❖ स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आ धक्य	बचत
2014-15	0.00	1259.75	98.14	97.09	1361.48	1545.29	----	1075.94
2015-16	0.00	1075.94	104.35	95.58	2162.01	1580.08	-----	1657
2016-17	0.00	1657.87	115.22	115.22	1374.64	1801.53	----	1230.98

❖ स्थापना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष बजट सम र्पत

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त `	व्यय `	बचत(-)`	अ धक्य(+)
2014-15	बी ए डी पी	289.34	105.34	184.00	------
	सांसद नि ध	19.99	17.33	2.66	-----
	ग्रा0सड़के	5.25	-----	5.25	------
2015-16	बी ए डी पी	192.50	116.25	76.25	-----
	सांसद नि ध	4.29	2.83	1.46	-----
	ग्रा0सड़के	418.23	101.40	316.83	-----
2016-17	बी0ए0डी0पी 0	264.33	143.33	121.00	----
	सांसद नि ध	1.94	1.43	0.51	----
	ग्रा0सड़के	815.01	464.60	350.41	----

(iii) इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई का बजट अन्य राज्य सरकार के वभाग से निर्माण कार्यो हेतु प्राप्त रा श से कया जाता है। इकाई "अ" श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. मुख्य अ भयंता 2- अधीक्षण अ भयंता 3- अ धशासी अ भयंता 4- सहायक अ भयंता 5- अवर अ भयंता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में सड़क निर्माण कार्यो का निरीक्षण कया गया तथा एक राजकीय पशु प्रजनन क्षेत्र नारियाल गाँव चंपावत मे व भन्न निर्माण कार्य के निर्माण से संबन्धित योजना भी देखी गई थी।

1. वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के समस्त सड़क निर्माण कार्य 2. ग्राम दर मे रा0 पू0 मा0 व0 मे भवन पुनर्निर्माण 3. मुंस्यारी मलम दुंग पैदल मार्ग के लास्पागाड़ मे स्टील फोल्डिंग पैदल सेतु का निर्माण 4. राजकीय आयुर्वेदिक च कत्सालय राथीबोरा का निर्माण

(V) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर 1- प्रतिधारक दीवारों के निर्माण मे आई आर सी एस पी:48 पहाड़ी मार्ग मैनुअल की व शष्टियों एवं ड्रॉइंग्स के वपरीत कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप रु 55.58 लाख की धनरा श का अपरिहार्य व्यय।

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड डीडीहाट के लेखा अ भलेखो की नमूना जांच के दौरान पाया गया क 14 फरवरी 2014 को प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 13/अ ध प्राप्ति10/2016 दिनांक 12/02/2014 के द्वारा प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) की व शष्टियां एवं ड्रॉइंग्स आई आर सी एस पी) पहाड़ी मार्ग मैन्युअल-48:IRC SP:48-Hill Road Manual) के प्रावधानों के आधार पर जारी करते हुए इन व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु समस्त अ भयन्ताओं को निर्दे शत कया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति मुख्य अ भयंता, ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग, देहारादून को भी अनुपालनार्थ प्रष्ठां कत की गयी थी।

उक्त के अनुपालन में मुख्य अ भयंता, ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा पत्रांक 14-2013/से.अ भ.ग्रा./2501 दिनांक 22/02/2014 के द्वारा प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के आधार पर जारी की गयी व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड के समस्त अधीक्षण अ भयन्ताओं को निर्दे शत कया गया था एवं उक्त पत्र की प्रति ल प समस्त अ धशासी अ भयन्ताओं, ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड को इस निर्देश के साथ प्रे षत की गयी थी क उक्त व शष्टियों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।

उक्त कार्यालय ज्ञाप मे जारी व शष्टियों के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों को आर आर ड्राई स्टोनर मेसनरी के द्वारा निर्माण कराया जाना था, 04 मीटर से 08 मीटर उंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों को आर आर ड्राई स्टोन मेसनरी 1:6 के द्वारा निर्माण कराया जाना था एवं 08 मीटर से अ धक ऊंचाई की प्रतिधारक दीवारों के निर्माण से बचा जाना चाहिए परंतु अपरिहार्य परिस्थितियो मे इनको सीढ़ीनुमा 1:05 सीमेंट एवं सैंड मोर्टार मे ड्राइंग के अनुसार कया जाना चाहिए।

जब क कार्यालय अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड डीडीहाट के अंतर्गत ग्रामीण मोटर मार्ग एवं ड्रैनेज के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 के निर्माण कार्यो के निष्पादन से संबन्धित अ भलेखो की जांच के दौरान पाया गया की (संलग्नक-अ) के अनुसार प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गो के निर्माण कार्यो से संबन्धित गठित अनुबन्धों एवं कार्यदेशों के अंतर्गत 04 मीटर से कम की प्रतिधारक दीवार को आरआर ड्राइ स्टोन

मेसनरों (RR dry stone masonry as per drawing number 01 RW/2014) के स्थान पर आर आर ड्राई स्टोन मेसनरी 1:6 सीमेंट मेसनरी मे निष्पादित कराते हुए रु141.16 लाख का कार्य कराया गया। जब क 04 मीटर तक क ऊंचाई क प्रतिधारक दीवारों का निष्पादन यदि उक्त कार्यालय ज्ञाप मे आर सी एस पी:48 पहाड़ी मार्ग मैन्युअल के आधार पर जारी व शष्टियों के अनुरूप आर आर ड्राई स्टोन मेसनरी मे निष्पादित कराया जाता तो उक्त निर्माण कार्यो के निष्पादन पर रु 85.58 लाख क धनरा श ही व्यय करनी पड़ती। इस प्रकार 04 मीटर ऊंचाई तक क प्रतिधारक दीवारों को कार्यालय ज्ञाप मे जारी व शष्टियों के वपरीत आर आर ड्राई स्टोन मेसनरी 1:6 सीमेंट मेसनरी मे निष्पादित कराये जाने के परिणामस्वरूप रु 55.58 लाख क धनरा श का अपरिहार्य व्यय कया गया।

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड डीडीहाट द्वारा अपने उत्तर मे अवगत कराया गया क कार्यस्थल क आवश्यकता के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक क प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आर आर ड्राई स्टोन मेसनरी के स्थान पर आर आर ड्राई स्टोन मेसनरी 1:6 सीमेंट मोर्टार मेसनरी मे निष्पादित कराया गया।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क प्रखण्ड स्तर पर वभागाध्यक्ष स्तर से आई आर सी एस पी :48 पहाड़ी मार्ग मैनुअल के आधार पर जारी व शष्टियों के अनुरूप न तो निर्माण कार्य ही निष्पादित कराये गए एवं न ही उक्त प्रकरण मे सक्षम प्रा धकारी से पूर्वानुमति ही प्राप्त की गई। जिसके परिणामस्वरूप रु 55.58 लाख क धनरा श की अपरिहार्य व्यय हुआ।

अतः प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण मे प्रतिधारक दीवारों के निर्माण मे आई आर सी एस पी:48 पहाड़ी मार्ग मैनुअल के आधार पर जारी व शष्टियों के वपरीत कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप रु 55.58 लाख क धनरा श के अपरिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

संलग्नक अ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sl. No.	**Name of the Road**	**Bond No, Date and Amount (in lakh)**	**Bonded Quantity of RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)**	**Executed Quantity of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)**	**Aggremented rate of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar / Per Cum**	**Expenditure incurred on execution of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar**	**Aggremented rate of RR dry stone masonry Per Cum**	**Amount if quantities executed in RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar had been executed in RR dry stone masonry**	**Difference of rates between RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar and RR dry stone masonry (Column 7- Column 9)**
1	थल मुवानी मोटर मार्ग से ग्राम चौपड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण	55/11-02-2016 18.51 लाख	280 cum	390.62 cum	2767.25	10.81 लाख	1523.93	5.95 लाख	4.86 लाख
		104/04-08-2016 39.34 लाख	340.96 cum	391.00 cum	2816.14	11.01 लाख	1551.28	6.06 लाख	4.95 लाख
2	मसूराड़ी वाया चौखा से मरोठ तक मोटर मार्ग	49/01-02-2016 39.19 लाख	855 cum	153.69 cum	2760.86	4.24 लाख	1526.55	2.34 लाख	1.90 लाख
		99/04-08-2016 39.19 लाख	825 cum	739.63 cum	2798.89	20.70 लाख	1547.57	11.44 लाख	9.26 लाख
3	जौलजीबी मुंस्यारी मोटर मार्ग से ग्राम बरामगांव तक मोटर मार्ग	97/30-07-2016 36.67 लाख	705 cum	459.11 cum	2927.41	13.44 लाख	1620.68	7.44 लाख	6.00 लाख
4	सुवालेख रसेपटा मोटर मार्ग के कमी0 06 से ग्राम बटुला तक मोटर मार्ग	58/12.02-2016 32.03 लाख	00	184.20 cum	3110.88	5.73 लाख	1982.22	3.65 लाख	2.08 लाख
		105/04-08-2016 39.20 लाख	600 cum	700.33 cum	3118.73	21.84 लाख	1982.22	13.88 लाख	7.96 लाख
5	चौबाटी-मुवानी-वजयाण मो0मा0के कमी0 12 से नाली पाली अनु0बस्ती तक मोटर मार्ग	98/04-08-2016 38.33 लाख	34.30 cum	242.51 cum	2361.98	5.72 लाख	1977.36	4.79 लाख	0.93 लाख

6	बरामगांव के कमी0 02 से गोगोई तक मोटर मार्ग	102/04-08-2016 37.32 लाख	60.90 cum	114.94 cum	3224.85	3.70 लाख	2038.13	2.34 लाख	1.36 लाख
7	सेराघाट पुल से मोती गाड़ तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	103/04-08-2016 39.61 लाख	100.00 cum	356.65 cum	3429.94	12.23 लाख	2175.46	7.76 लाख	4.47 लाख
8	मल्ला कोटा से कामदा धुरा तक मोटर मार्ग	101/04-08-2016 39.71 लाख	0.00	152.02 cum	3435.71	5.22 लाख	2178.75	3.31 लाख	1.91 लाख
9	बलधार (जौलजीबी) से दूती तक मोटर मार्ग का निर्माण	58/28-05-2016 38.93 लाख	27.30 cum	356.65 cum	3236.24	11.83 लाख	2045.32	7.29 लाख	4.54 लाख
10	चौबाटी मुवानी से जीआरएएएम साल्वे तक मोटर मार्ग	06/03-07-2017 111.40 लाख	72.80 cum	238.22 cum	2455.15	5.84 लाख	1554.78	3.70 लाख	2.14 लाख
11	पंत गांव से नरेत गाँव तक मोटर मार्ग	10/02-07/2017 98.45 लाख	602.01 cum	368.75 cum	2402.11	8.85 लाख	1528.12	5.63 लाख	3.22 लाख
कुल						**141.16**		**85.58**	**55.58**

<u>भाग -दो (ब)</u>

प्रस्तर 2- कार्य मे वलंब और अधूरा छोड़ने के बावजूद जी पी डबल्यू 9 की शर्तो के अनुसार अनुबंध के 10 प्रतिशत अर्थदण्ड की रा श रु 3.91 लाख काटे बिना कार्य का अंति मकरण कर भुगतान कया जाना।

वर्ष 2014-15 मे 1.5 कमी0 लंबाई मे ग्रामीण सड़क मसूराड़ी वाया चौखा से मरोठ का निर्माण हेतु रु 240.53 लाख क रा श स्वीकृत की गयी थी। जिसके लए मार्च 2015 से मार्च 2017 तक 73.73 लाख तथा अक्तूबर 2017 मे रु 166.88 लाख अवमुक्त कया गया है। हिल कटिंग का कार्य कार्यादेश के माध्यम से कराया गया था। तथा रु 14.20 लाख व्यय कया गया। ब्रेस्ट वाल एवं ड्रेन स्कपर के कार्यो हेतु जनवरी 2016 मे नि वदा आमंत्रित की गयी थी। न्यूनतम नि वदा के आधार पर रु 39.19 लाख का अनुबंध सं0 49 के अंतर्गत फरवरी 2016 मे अनुबंध गठित कया गया था। कार्य को प्रारम्भ करने की ति थ फरवरी 2016 एवं पूर्ण करने की ति थ जुलाई 2016 थी। ठेकेदार द्वारा अत्य धक उम्र होने के कारण माह जून 2016 मे अपने पुत्र के नाम मुख्तारनामा दिया गया था क सभी कार्य पुत्र द्वारा कया जाएगा। अ भलेखो के निरीक्षण मे पाया गया क ठेकेदार द्वारा मार्च माह 2016 से कार्य रोक करके रखा गया था। तथा जो कार्य कया गया था उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं थी। मई 2016 मे अधीक्षण अ भयंता द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिये गये निर्देश के बावजूद भी न तो कार्य क गुणवत्ता ठीक की गयी और न ही कार्य प्रारभ कया गया। आगे यह भी पाया गया क अ धशासी अ भयंता द्वारा जून 2016 मे दंडात्मक कार्यवाही कर अनुबंध के अंति मकरण की कार्यवाही करने हेतु निर्दे शत कया गया था। जो क प्रखण्ड द्वारा पालन नहीं कया गया। सतंबर 2016 मे अवगत कराया गया क ठेकेदार क मृत्यु अगस्त 2016 को हो चुकी है, तथा कार्य को बिना अर्थदण्ड लगाये अंति मकरण कर दिया जाये। सहायक अ भयता द्वारा अक्टूबर 2016 मे कार्य का अंतिम मापांकन कर देयक प्रस्तुत कया गया। तथा बिना अर्थदण्ड लगाये और जमानती रा श रु 3.91 लाख (अनुबंध का 10%) को रोके रु 6.59 लाख का भुगतान ठेकेदार के नामां कत को माह 12/2016 मे कर दिया गया।

इकाई से पूछने पर बताया गया क तत्कालीन अ धशासी अ भयंता द्वारा निर्णय लेते हुए प्रकरण का निस्तारण कया गया। भ वष्य मे इस प्रकार की कार्य प्रणाली अमल मे नहीं लायी जाएगी।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य की पुष्टि होती है क प्रखण्ड द्वारा जी पी डबल्यू 9 क शर्तो के अनुसार 10 प्रतिशत अर्थदण्ड क रा श रु 3.91 लाख काटे बिना कार्य का अंति मकरण कर देयक का भुगतान कर दिया गया।

अतः कार्य मे वलंब और अधूरा छोड़ने के बावजूद जी पी डबल्यू 9 की शर्तो के अनुसार अनुबंध के 10 प्रतिशत अर्थदण्ड की रा श रु 3.91 लाख काटे बिना कार्य का अंति मकरण कर भुगतान कया जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन सं0	अनिस्तारित प्रस्तर	भाग दो (अ)	भाग दो (ब)	स्टेन
24/2014-15	9	----	9	2
88/2016-17	4	-----	4	----

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
24/2014-15	भाग -दो (ब) प्रस्तर सं0 **4,5,7,9**	अ धशासी अ भयंता की संतुति	जो	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड डीडीहाट तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

3. शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अव ध
1.	श्री के0 के0 पंत	अ धशासी अ भयंता	29/06.2016 से 11.08.2017 तक
2.	श्री जे0 एस0 धर्मशाक्तू	अ धशासी अ भयंता	12.08.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता ग्रामीण निर्माण वभाग प्रखण्ड डीडीहाट को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.